राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 996/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
जय प्रकाश हरवानी एच.676, एम0आई0ए0 द्वितीय फेज, बासनी, Jodhpur,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव मंत्रीमण्डल सचिवालय Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 26/03/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री संजय शर्मा, अनुभागाधिकारी उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 14-08-2017 के द्वारा शासन उप सचिव, ग्रुप-10 पुर्नवास विभाग के पत्र दिनांक 19-03-2013 से संबंधित ए से जे बिन्दु की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी के आवेदन के साथ आवेदन शुल्क नहीं होने के कारण आवेदन को दिनांक 24-08-2017 को निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा आवेदन शुल्क प्रेषित किया गया जो दिनांक 08-09-2017 को मिला। अपीलार्थी ने आवेदन मुख्य मंत्री कार्यालय को किया था। जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी जन निराकरण विभाग को पत्र दिनांक 11-09-2017 के द्वारा अन्तरित किया गया। जिसकी सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। प्रथम अपील पेश होने पर पत्र दिनांक 11-10-2017 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि आवेदन अन्तरित किया जा चुका है तथा अपील संबंधित विभाग को करे।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 16-02-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 24-08-2017, 11-09-2017, 11-10-2017 प्रस्तुत किया है।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है जो बलहीन है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त